

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 209]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 1970/अग्रहायण 26, 1892

No. 209]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 1970/AGRAHAYANA 26, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 17th December 1970

G.S.R. 2043.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958 (27 of 1958), the Central Government hereby exempts petroleum products, falling under Items Nos. 6 to 11-A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), produced in refineries wherein refining of crude petroleum or shale or blending of non-duty paid petroleum products is carried on, and utilised as fuel within the same premises for the production or manufacture of other finished petroleum products, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 and from the levy of additional duty of excise under sub-section (1) of section 3 of the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958.

[No. 180/70-CE/F. No. 12/16/66-CX.3. Vol. II.]

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर 1970

सा० क० नि० 2043.—खनिज उत्पाद¹ (अतिरिक्त उत्पाद और सीमा शुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का 27) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा ऐसे पेट्रोलियम उत्पादों को जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 6 से 11-क तक के अन्तर्गत आते हैं और जो उन परिष्करण शालाओं में उत्पादित किये जाते हैं जिनमें कच्चा पेट्रोलियम या शेल या ऐसे पेट्रोलियम उत्पादों का मिश्रण किया जाता है, जिन पर शुल्क नहीं संवत्त किया जाता और जो उसी परिसर में अन्य परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन या विनिर्माण के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं, उन्हें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के सम्पूर्ण शुल्क से और खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद और सीमा शुल्क) अधिनियम, 1958 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण से छूट देती है।

[सं० 180/70-सी० ई०]

G.S.R. 2044.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 101/64-Central Excises, dated the 18th April, 1964.

[No. 181/70.]

सा० का० नि० 2044.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 101/64-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 18 अप्रैल, 1964 को विखंडित करती है।

[सं० 181/70]

G.S.R. 2045.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Minis-

try of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 217/67-Central Excises, dated the 23rd September, 1967, namely:—

In the said notification, for the words "town gas or carbon dioxide", the words "carbon dioxide" shall be substituted.

[No. 182/70-C.E./F. No. 12/16/66-CX. 3 Vol. II.]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

सां.कां. नि० 2045.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 217/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 सितम्बर, 1967 में नमूनेलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "टाउन गैस या कार्बन डाइ आक्साइड" शब्दों के स्थान पर "कार्बन डाइ आक्साइड" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 182/70-सी० इ०/फा० सं० 12/16/66-सी. एक्स. जिल्द-II]

पी० आर० कुण्जन, अवर सचिव ।

